



गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर - 7, गीडा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

Website : www.gidagkp.in • Email: ceogida-up@up.gov.in



योगी आदित्यनाथ
मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र.

गीडा की विभिन्न योजनाओं में औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटन की महत्वाकांक्षी योजना में भूखण्ड प्राप्त करने का

ऑनलाइन पंजीयन की
प्रारम्भ तिथि : 17-06-2024
अन्तिम तिथि : 01-07-2024
ई-ऑक्शन तिथि : 05-07-2024

सुनहरा अवसर

आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भूखण्ड : 174

सामान्य उद्योगों हेतु उपलब्ध औद्योगिक भूखण्डों का विवरण

क्रम.सं.	भूखण्डों का आकार	भूखण्डों की संख्या				भूखण्डों की कुल संख्या
		सेक्टर-13	सेक्टर-15	सेक्टर-26	सेक्टर-27	
1	0 से 1000 वर्ग मीटर तक	1	1	0	0	2
2	1001 से 4000 वर्ग मीटर तक	23	6	6	10	45
3	4001 से 20000 वर्ग मीटर तक	1	0	2	2	5
4	20001 वर्ग मीटर से अधिक	0	0	1	4	5
कुल योग						57

गारमेन्ट पार्क में मात्र रेडीमेड गारमेन्ट से संबन्धित इकाइयों के आवंटन हेतु उपलब्ध औद्योगिक भूखण्डों का विवरण

क्रम.सं.	भूखण्डों का आकार	सेक्टर	भूखण्डों की कुल संख्या
1	0 से 1000 वर्ग मीटर तक	26	28

प्लास्टिक पार्क में मात्र प्लास्टिक संबन्धित इकाइयों हेतु उपलब्ध औद्योगिक भूखण्डों का विवरण

क्रम.सं.	भूखण्डों का आकार	सेक्टर	भूखण्डों की कुल संख्या
1	0 से 1000 वर्ग मीटर तक	28	11
2	1001 से 4000 वर्ग मीटर तक	28	27
3	4001 से 20000 वर्ग मीटर तक	28	3
4	20001 वर्ग मीटर से अधिक	28	1
कुल योग			42

व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

क्रम.सं.	भूखण्डों का आकार	भूखण्डों की संख्या			भूखण्डों की कुल संख्या
		सेक्टर-13	सेक्टर-22	सेक्टर-23	
1	0 से 1000 वर्ग मीटर तक	14	19	14	47
कुल योग					47

आवेदन के नियम

- भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें तथा भूमि की दरें गीडा की वेबसाइट www.gidagkp.in में उपलब्ध e-brochure से देखी जा सकती हैं।
- औद्योगिक भूखण्डों हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.niveshmitra.up.nic.in पर रजिस्टर करने के उपरान्त किया जाना होगा।
- व्यावसायिक भूखण्ड ई-ऑक्शन के माध्यम से उपलब्ध होंगे। ई-ऑक्शन हेतु आवेदन <https://gida.procure247.com> पर जाकर किया जाना होगा।
- एफ.ए.आर. एवं सेटबैक गीडा नियमानुसार प्रभावी होंगे।
- आवेदन के लिए निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं भूखण्ड की कुल कीमत का 10 प्रतिशत, धरोहर धनराशि के रूप में ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
- 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- आवंटन के पूर्व या पश्चात किसी नियम व आवंटन प्रक्रिया में परिवर्तन या पूरी आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित है।
- आवंटन तिथि पर प्रचलित भू-दर पर ही भूखण्ड आवंटन किया जायेगा। **मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर**